न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 32 / 2012 **दायर दिनांकः 21.11.05**

उनवान

1. नन्द किशोर आयु 40 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति गाडरी गूजर
2. रमेश आयु 30 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति गाडरी गूजर निवासीगण पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. मिथलेश कुमारी पत्नी चतुर्भुज जाति मीणा
2. रोहित पुत्र चतुर्भुज नाबालिग जर्ये वली पिता चतुर्भुज जाति मीणा निवासीगण हरनावदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रतापसिंह।
प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

निर्णय **दिनांक 11 / 05 / 2022**

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां में वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी नवीन ख0नं0 308 का रकबा 1.35 है0 दर्ज खाता चली आ रही है उक्त आराजी के साबिक ख0नं0 325 का रकबा 9 बीघा दर्ज था। नकल जमाबन्दी नवीन, मिलान क्षेत्रफल, एवं पुरानी जमाबन्दी तथा नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी के लगवां ही साबिक ख0नं0 324 का रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा स्थित है जिसके वर्तमान में बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 बनाया है जो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी नई, पुरानी, मिलान एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र

के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रतिवादी क्रम 3 के अधिनस्थ कर्मचारियों ने वक्त सेटलमेन्ट गफलत एवं लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुऐ वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी के पुराने ख0नं0 325 का रकबा 9 बीघा के नवीन ख0नं0 308 का रकबा 1.35 है0 बनाया है जो पुराने रकबे से 0.09 है0 कम दर्ज किया है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जिसे वादीगण दुरूस्त करवा कर ख0नं0 308 का रकबा 1.35 है0 के स्थान पर सही रकबा 1.44 है0 दर्ज करा पाने के अधिकारी है। इसी प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने वक्त सेटलमेन्ट पुराने ख0नं0 324 का रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा के नवीन ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 बनाया है जो वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के संयुक्त रूप से खाते दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने पुराने रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा को बढा कर 3.90 है0 दर्ज कर दिया जो वास्तविक रकबे से अधिक है। इस प्रकार वादीगण का रकबा 0.09 है0 प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के रकबे में मिला दिया। जिसे वादीगण प्रतिवादीगण के रकबे में से 0.09 है0 कम करवा कर वादीगण के खाते दर्ज करा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी 0.09 है0 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है यदि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये और वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी 0.09 है0 पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादीगण को अपने स्वामित्व की आराजी से वंचित होना पडेगा तथा उनको प्राप्त टीनेन्सी अधिकारों में नाजायज हस्तक्षेप होगा इस कारण वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी के रकबा 0.09 है0 पर जबरन कब्जा नहीं करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद इन्द्राज दुरूस्ती का होने राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 3 बनाया गया है तथा धारा 80 सी0पी0सी0 का 2 माह अवधि का नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन चूंकि मामला आवश्यक प्रकृति का है यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने की प्रतिक्षा की गई तो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उनके अवैध कृत्य में सफल हो जावेगें जिससे वादीगण का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा। इस कारण धारा 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर गलत इन्द्राज की

जानकारी होने पर प्रतिवादी क्रम 3 से इन्द्राज दुरूस्त करने का निवेदन करने व प्रति0 क्रम 3 द्वारा मना करने व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा दिनांक 05.11.2005 को जबरन आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी पर एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी साबिक ख0नं0 325 का रकबा 9 बीघा के नवीन ख0नं0 308 का रकबा 1.35 है0 बनाया है को दुरूस्त कर पुराने रकबे के मुताबिक नवीन रकबा 1.44 है0 बनाया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 3 को प्रदान किया जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ख0नं0 308 का रकबा 1.35 है0 में से पर जबरन कब्जा नहीं करे, वादीगण को शान्ती पूर्वक काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 की जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं होने की वजह से उक्त मद स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं0 2 जिस तरह से लिखी है स्वीकार नहीं है। क्यों कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 18.05.2002 को क्रय की थी तब से ही प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के बीच में कभी कब्जे काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। वाद पत्र की

मद नं0 3 जिस तरह से दर्ज किया है वह सेटलमेन्ट द्वारा जितना रकबा वादीगण के कब्जे में था उतना ही रकबा दर्ज किया है इस वजह से वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करवा सकते इस कारण उक्त मद अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने खरीदशुदा रकबा 3.90 है0 पर काबिज काश्त है। वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खरीदने के बाद में कभी भी कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है क्योंकि वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उनका कम हुआ रकबा कौनसे ख0नं0 में गया है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है। क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के बीच में आराजी कब्जे काश्त को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 11 कानूनी है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है।

विशेष विवरण

वादीगण के खाते की आराजी ख0नं0 308 का रकबा 1.35 है0 तथा प्रतिवादीगण के खाते की आराजी के बीच में मेड बनी हुई है। दोनों ही पक्षकारान के अलग–अलग खेत है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि वादीगण का कम हुआ रकबा सेटलमेन्ट द्वारा कौनसे नम्बर में मिला दिया इस वजह से वादीगण का वाद निरस्तनीय है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की आराजी ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 दिनांक 18.05.2002 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया था जब से ही प्रतिवादीगण अपने खाते की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा पिछले 11 वर्षों में वादीगण के खाते की आराजी पर जबरन कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया है। कब्जे काश्त को लेकर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के बीच पिछले 11 वषों में विवाद तो दूर की बात है कोई बातचीत भी नहीं हुई है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध मनघढन्त व झूठे तथ्यों पर उक्त उनवान का दावा पेश किया है इसलिये प्रतिवादी क्रम 1 व 2 विशेष हर्जा खर्चा 5000/– रू वादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को वादीगण से विशेष हर्जा 5000 रू दिलाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

3. दावे व दवाब दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1– आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण के स्वामित्व की है जिसको दुरूस्त कराकर 1.44 है0 अपने नाम दर्ज खाता करा पाने के अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी नं0 2– आया प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के कब्जे व स्वामित्व की आराजी साबिक खसरा न0 324 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा नया खसरा न0 297 रकबा 3.90 है0 मे बडे हुए रकबे में से 0.09 है0 भूमि वादीगण अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी नं0 3– आया वादीगण अपने खाते की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने बाबत प्रतिवादीगण को पाबन्द करापाने के अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी नं0 4– आया वादीगण तथा प्रतिवादीगण के खेतों के मध्य मेड बनी हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी वादीगण की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है प्रतिवादीगण अपने खाते की आराजी शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है।

(प्रतिवादीगण)

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 नन्दकिशोर आयु 45 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति गाडरी गूर्जर निवासी पिपलोद तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी द्वारा अपने सशपथ बयानों में बताया कि ग्राम पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां में मेरे व मेरे भाई रमेश के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी नवीन ख0नं0 308 रकबा 1.35 है0 दर्ज खाता चली आ रही हैं उक्त भूमि के साबिक ख0ं0 325 का रकबा 9 बीघा दर्ज था। हमारी उक्त आराजी के लगवां ही साबिक ख0नं0 324 का रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा स्थित है जिसके वर्तमान में बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 बनाया है। जो प्रतिवादी मिथलेश कुमारी पत्नी चतुर्भुज व रोहित पुत्र ना बा. जर्ये वली पिता चतुर्भुज मीणा के खाते दर्ज चली आ रही है। वक्त सेटलमेन्ट गफलत एवं लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुये मेरी उक्त भूमि के पूराने ख0नं0 325 का रकबा 9 बीघा के नवीन ख0नं0 308 का रकबा 1.35 है0 बनाया है जो कि पुराने रकबे से 0.09 है0 कम दर्ज किया है। इसी प्रकार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने वक्त सेटलमेन्ट पुराने ख0नं0 324 का रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा के नवीन ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 बनाया है जो वर्तमान मे मिथलेश कुमारी व रोहित के संयुक्त रूप से खाते दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने पुराने रकबा

23 बीघा 4 बिस्वा को बढाकर 3.90 है0 दर्ज कर दिया जो वास्तविक रकबे से अधिक हैं इस प्रकार हमारा रकबा 0.09 है0 मिथलेश कुमारी व रोहित के रकबे में मिला दिया। जिसे में व मेरा भाई दुरूस्त करवाकर अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। जिसे दुरूस्त किया जाकर हमारे खाते दर्ज किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी श्री मोहनलाल सुमन एड. द्वारा जिरह की गई जिसमें साक्ष्यवादी ने बताया कि मेरे खाते में सेटलमेन्ट द्वारा 0.09 है0 आराजी कम कर दी। मेरा खेत पूरा 27 बीघा था जिसमें से मैने 9 बीघा जमीन खरीदी थी मैंने 35 वर्ष पूर्व जमीन खरीदी थी। यह खरीद शुदा खेत 9 बीघा अलग से है। जिसमें चारो तरफ मेड बनी हुई है। जब से मैने जमीन खरीदी तब से मैं पूरी जमीन 9 बीघा को काश्त कर रहा हूॅ। इस 9 बीघा जमीन को मिथलेश प्रतिवादीगण काश्त करते नहीं आये उनके खेत व मेरे खेत के बीच में रास्ता है उनके खेत के भी चारों ओर मेड बनी हुई है। यह तो केवल रिकार्ड में ही गलती हुई है मौके पर तो वह उनके खेत को काश्त कर रहे है। और मैं मेरे खेत को काश्त कर रहा हूॅ।

साक्ष्यवादी के तहत pw2 मदनलाल पुत्र प्रभूलाल जाति सहरिया निवासी पिपलोद तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी द्वारा बताया कि ग्राम पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां आराजी नवीन ख0नं0 308 रकबा 1.35 है0 भूमि नन्दकिशोर व रमेश पुत्रगण प्रभूलाल जाति गाडरी गूर्जर निवासी पिपलोद के खाते दर्ज खाता चली आ रही हैं। उक्त भूमि के साबिक ख0नं0 325 का रकबा 9 बीघा दर्ज था। हमारी उक्त आराजी के लगवां ही साबिक ख0ंन0 324 का रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि मिथलेश कुमारी व रोहित के खाते दर्ज है। जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 बनाया है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा बन्दोबस्त करते समय गफलत व लापरवाहीपूर्ण कार्य करते हुये नन्दकिशोर, रमेश की भूमि के पुराने ख0न0ं 325 का रकबा 9 बीघा के नवीन ख0नं0 308 का रकबा 1.35 है0 बनाया है जो कि पुराने रकबे से 0.09 है0 कम दर्ज किया है जिस पर अभी भी नन्दकिशोर, रमेश काबिज है परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा मिथलेश कुमारी व रोहित के पुराने ख0नं0 324 का रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा के नवीन ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 बनाया है जो पुराने रकबे से अधिक है। नन्दकिशोर व रमेश की भूमि में से 0.09 है0 रकबा इनके अधिक मिला दिया है। जिस कारण मिथलेश कुमारी व रोहित के अधिक रकबा दर्ज कर दिये जाने से नन्दकिशोर व रमेश की भूमि के रकबे 0.09 है0 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। नन्दकिशोर व रमेश उक्त कम हुये रकबे 0.09 है0 को दुरूस्त करवाकर अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।

साक्ष्यवादी के तहत pw3 पप्पू पुत्र घांसीलाल जाति सहरिया निवासी पिपलोद तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी द्वारा बताया कि ग्राम पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां आराजी नवीन ख0नं0 308 रकबा 1.35 है0 भूमि नन्दकिशोर व रमेश पुत्रगण प्रभूलाल जाति गाडरी गूर्जर निवासी पिपलोद के खाते दर्ज खाता चली आ रही हैं। उक्त भूमि के साबिक ख0नं0 325 का रकबा 9 बीघा दर्ज था। हमारी उक्त आराजी के लगवां ही साबिक ख0नं0 324 का रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि मिथलेश कुमारी व रोहित के खाते दर्ज है। जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 बनाया है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा बन्दोबस्त करते समय गफलत व लापरवाहीपूर्ण कार्य करते हुये नन्दकिशोर, रमेश की भूमि के पुराने ख0नं0 325 का रकबा 9 बीघा के नवीन ख0नं0 308 का रकबा 1.35 है0 बनाया है जो कि पुराने रकबे से 0.09 है0 कम दर्ज किया है जिस पर अभी भी नन्दकिशोर, रमेश काबिज है परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा मिथलेश कुमारी व रोहित के पुराने ख0नं0 324 का रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा के नवीन ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 बनाया है जो पुराने रकबे से अधिक है। नन्दकिशोर व रमेश की भूमि में से 0.09 है0 रकबा इनके अधिक मिला दिया है। जिस कारण मिथलेश कुमारी व रोहित के अधिक रकबा दर्ज कर दिये जाने से नन्दकिशोर व रमेश की भूमि के रकबे 0.09 है0 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। नन्दकिशोर व रमेश उक्त कम हुये रकबे 0.09 है0 को दुरूस्त करवाकर अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। मैं गावं में हाली का काम करता हूॅ इस वजह से मुझे जानकारी है।

4. साक्ष्यप्रतिवादी के तहत Dw2 मिथलेश कुमारी पत्नि चतुर्भूज जाति मीणा निवासी हरनावदा तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रतिवादी ने बताया कि ग्राम पिपलोद में हमारे शामलाती खाते की आराजी स्थित है जो मेरे तथा मेरे पुत्र रोहित के खाते की है, इसी तरह से महारे खेतों के लगवा वादीगण नन्दकिशोर, रमेश के खाते के खेत है , हमारे तथा वादीगण के खेतों के मध्य काफी समय से पुरानी मेड बनी हुई है जिससे दोनों ही पक्षों के खेत मौके पर अलग–अलग बने हुये है, हम हमारे खाते की आराजी ख0नं0 297 का रकबा 3.90 है0 को शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है उक्त रकबे को हमने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 18.05.2002 को क्रय किया था, मेरा तथा मेरे परिवार के अन्य सदस्यों का कभी भी कोई विवाद वादीगण नन्दकिशोर तथा रमेश के मध्य नहीं हुआ है। हमारे खिलाफ नन्दकिशोर वगै0 द्वारा माननीय न्यायालय में जो दावा पेश किया है वह दावा मनघढन्त एवं झूठे तथ्यों पर हमें पेरशान करने की नियत से किया गया

है इस वजह से वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे तथा हमें वादीगण से वाद व्यय तथा हर्जा खर्चा 5000/–रू दिलाये जावे।

अभिभाषक वादी श्री विनोद प्रताप सिंह एड. द्वारा जिरह की गई। जिरह में बताया कि मैनें 26.5 बीघा जमीन एक पिपलोद के ईसाई से खरीद की थी। मैंने यह जमीन 2002 में 12000 रूपये प्रति बीघा में खरीद की थी इस भूमि में 1/2 मेरे नाम व 1/2 मेरे पुत्र रोहित कुमार के नाम खरीदी थी। क्रय जमीन को हम कास्त करते चले आ रहे है हमारे खेत व रमेश गुर्जर के मध्य की जमीन है। हमारे खेत व रमेश गुर्जर के मध्य मेड पडी हुई है। जिस व्यक्ति से हमने जमीन खरीद की थी यह बात सही है, कि पूर्व में इस जमीन का एक ही खातेदार था आज यदि नन्द किशोर की जमीन सेटलमेन्ट ने कम कर दी है तो उसकी पूर्ति हमें बिना परेशान किये करे तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मौके पर हमारी खरीद शुदा आराजी पर हम काश्त कर रहे है। तथा नन्द किशोर भी अपने खाते की भूमि को काश्त कर रहे है।

5. अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी। पेश पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

तनकी नं0 1– आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण के स्वामित्व की है जिसको दुरूस्त कराकर 1.44 है0 अपने नाम दर्ज खाता करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा पेश ग्राम पिपलोद की जमाबन्दी संवत 2061–2064 (प्रदर्श–2), एवं भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल(प्रदर्श–3) के अनुसार वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 325 रकबा 9 बीघा का सेटलमेन्ट के दौरान नया खसरा 308 रकबा 1.35 है0 बनाया गया है जबकि नियमानुसार 9 बीघा का रकबा 1.44 है0 दर्ज होना चाहिये था। माननीय राजसव मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों सेटलमेन्ट के दौरान किसी भी खातेदार की जमाबन्दी की मूल प्रवष्टियों में बिना सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश के संसोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। साक्ष्य वादी pw1 से pw4 ने अपने सशपथ बयानों में स्वीकार किया है की वादीगण की आराजी का रकबा केवल राजसव रिकॉर्ड में 0.09 है0 कम हुआ है जबकि मौके पर वह पूर्ववत 9 बीघा पर ही कब्जे काश्त है। अर्थात वादीगण का रकबा केवल रिकॉर्ड में कम हुआ है, मौके पर कब्जे काश्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा वहस के दौरान उक्त कथन का कोई विरोध नहीं किया।

अतः उपरोक्त बहस के प्रकाश में पेश पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली–प्रदर्श 1,2,3 व साक्ष्यवादी और साक्ष्य प्रतिवादी के सशपथ बयान व जिरह के आधार पर तनकी न. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2– आया प्रतिवादी कम 1 व 2 के कब्जे व स्वामित्व की आराजी साबिक खसरा न0 324 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा नया खसरा न0 297 रकबा 3.90 है0 मे बडे हुए रकबे में से 0.09 है0 भूमि वादीगण अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। अभिभाषक वादीगण ने वहस करते हुए कथन किया की वादीगण के रकबे को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के 0.09 है0 कम कर दिया और प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर 324 रकबा 23 बीघा 4 विस्वा का नवीन खसरा नम्बर 297 रकबा 3.90 है0 बनाते समय रकबा 0.18 है0 बडा दिया गया है। 23 बीघा 4 विस्वा भूमि का नवीन रकबा 3.72 है0 होना चाहिए था। अभिभाषक वादीगण ने आगे तर्क किया की वादीगण और प्रतिवादीगण के खसरे एक दूसरे से सटे हुए है इसलिए इस बात की पूरी सम्भावना है की सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों ने वादीगण का रकबा कम करके प्रतिवादीगण का रकबा बडा दिया। अतः वादीगण के घटे हुए रकबे 0.09 है0 की क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण के बडे हुए 0.18 है0 रकबे में से करके वादीगण को खाते दर्ज किया जावे

अभिभाषक प्रतिवादीगण ने वादीगण के इस तथ्य को स्वीकार किया की सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों ने दौराने सेटलमेन्ट वादीगण के नवीन खसरा नम्बर 308 का रकबा 0.09 है0 कम कर दिया है लेकिन इस तथ्य का पुरजोर विरोध किया की इस कम हुए रकबे को प्रतिवादीगण के खाते की आराजी हाल खसरा नम्बर 297 में से पूरा किया जावे। अभिभाषक प्रतिवादीगण ने तर्क किया की प्रतिवादीगण ने ये भूमि 18/05/2002 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। क्रय करने के समय से ही वादीगण और प्रतिवादीगण के खेतों के मध्य जो मेड बनी हुई थी वो आज भी यथावत बनी हुई है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को क्रय किये जाने से लेकर आज तक कभी भी वादीगण के भूमि पर न तो किसी प्रकार का कब्जा किया है और न ही वादीगण के शांतीपूर्ण कब्जे काश्त में कोई दखलदाजी दी है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 297 रकबा 3.90 है0 को क्रय करते समय

विक्रेता को पूरे रकबे के वैध्य प्रतिफल राशि का भुगतान किया है। अतः प्रतिवादीगण के रकबे को कम नहीं किया जा सकता। अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अन्त में तर्क किया की वादीगण को पहले ये सिद्ध करना होगा की उनका सेटलमेन्ट के दौरान कम हुआ रकबा उनके खेत के चारों ओर स्थित अन्य खेतों/खसरों में न बडकर सिर्फ प्रतिवादीगण के खेत में ही बडा है और वादीगण ये साबित करने में विफल रहे है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

उपरोक्त वहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी न. 1 के निर्णय से यह तो स्पष्ट है की वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 325 रकबा 9 बीघा का सेटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 308 रकबा 1.35 है0 बनाते समय कुल रकबा 0.09 है0 कम करके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और बिना किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों को वादीगण की जमाबन्दी की मूल प्रवष्टियों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। ग्राम पिपलोद के खसरा नम्बर 297 की जमाबन्दी संवत 2061–2064 (प्रदर्श–1), साबिक खसरा नम्बर 324 की जमाबन्दी संवत 2035–2038 प्रदर्श–7, भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–8 के अवलोकन से जाहिर है की सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर 324 रकबा 23 बीघा 4 बिसवा का नवीन खसरा नम्बर 297 रकबा 3.90 है0 बनाते समय ये रकबा 0.18 है0 बडा दिया गया है। 23 बीघा 4 बिसवा का नया रकबा 3.72 है0 बनाना चाहिए था। साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी के सशपथ बयान और जिरह के आधार पर दोनो पक्षकार मौके पर सेटलमेन्ट से पूर्व के रकबे पर यथावत बैठे हुए हैं।

इस न्यायालय के समक्ष तथ्य का प्रश्न यह है कि क्या वादीगण का कम हुआ रकबा प्रतिवादीगण के खेत/खसरें में ही बडाया गया है, किसी अन्य खसरे/खेत में नहीं ?

इस संबंध में ग्राम पिपलोद के संवत 2012 सन 1955 के नजरी नक्शे (प्रदश–5) तथा हाल के नजरी नक्शे प्रदर्श–6 का अवलोकन करना आवश्यक है। प्रदर्श – 5 के अवलोकन से जाहिर है की वादीगण के पुराने खसरे नम्बर 325 के दक्षिण में खसरा नम्बर 322 व 323 है, पूर्व में खसरा नम्बर 326, उत्तर पूर्व में खसरा नम्बर 325 तथा उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम में एक रास्ता/सिवायचक भूमि स्थित है। वादीगण का घटा हुआ रकबा चारों ओर के उपरोक्त खसरों में से किस खसरे में बडा है ये निर्धारित करने के लिए उपरोक्त सभी खसरा नम्बरों का भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षैत्रफल होना जरूरी है। मिलान क्षैत्रफल के आधार पर ही सेटलमेन्ट से पूर्व और सेटलमेन्ट से बाद के रकबे का मिलान किया जा सकता है। लेकिन वादीगण द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद पुराने

खसरा नम्बर 325 को छोडकर अन्य किसी भी खसरे नम्बर का भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षैत्रफल पेश नहीं किया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के अभाव में ये निर्धारण करना बहुत मुश्किल है कि वादीगण का घटा हुआ 0.09 है0 रकबा किस खसरे नम्बर में या सार्वजनिक रास्ते में बढाया गया है। प्रदर्श–5 और प्रदर्श–6 के नजरी नक्शों में खसरा नम्बरों के आकार/क्षैत्रफल के तुलनात्मक अध्ययन से भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल हैं। इसी प्रकार साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी ने अपने सशपथ बयान एवं जिरह में भी इस तथ्य को स्वीकारा है की दोनों पक्षकारों के उपरोक्त विवादित खसरों/खेतों के मध्य बनी हुई मेड पूर्व की भांती यथावत है, किसी भी पक्षकार ने उक्त भूमियों को क्रय करने के बाद कोई अतिक्रमण नहीं किया है दोनो पक्षकार शान्ति पूर्ण कब्जा काश्त करते आ रहे हैं।

उपरोक्त विवेचन व विशलेषण तथा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तनकी नं. 2 वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती हैं।

<u>तनकी नं0 3–</u> आया वादीगण अपने खाते की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने बाबत प्रतिवादीगण को पाबन्द करापाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। यद्यपि जवाबदावा, साक्ष्य वादीगण एवं साक्ष्य प्रतिवादी के सशपथ बयान एवं जिरह, दोनो पक्षों की बहस आदि के आधार पर जाहिर है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर पूर्ववत ही कब्जे काश्त है दोनो के द्वारा भूमि क्रय कर कब्जा लिये जाने के बाद से एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलदाजी नहीं दी है। फिर भी यदि प्रतिवादीगण वादीगण के खाते की आराजी हाल खसरा नम्बर 308 रकबा 1.35 है0 पर उसके शांति पूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी देते हैं तो प्रतिवादीगण ऐसा कृत्य नहीं करने के लिए पाबन्द किये जाने के लिए उत्तरदायी होंगें। अतः तनकी न. 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

<u>तनकी नं0 4–</u> आया वादीगण तथा प्रतिवादीगण के खेतों के मध्य मेड बनी हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी वादीगण की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है। प्रतिवादीगण अपने खाते की आराजी शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। साक्ष्य वादीगण एवं साक्ष्य प्रतिवादी के सशपथ बयान एवं जिरह, दोनो पक्षों की बहस आदि के आधार पर प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 297 रकबा 3.90

है0 पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त कर रहे हैं। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः तनकी न. 4 प्रथम दृष्टया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा पेश रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद आंशिकतः स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन, विशलेषण तथा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के ग्राम पिपलोद के हाल खसरा नम्बर 308 रकबा 1.35 है0 के कब्जे काश्त में न तो स्वंय और न अपने प्रतिनिधीयों के माध्यम से दखलंदाजी दें।

निर्णय आज दिनांक **11.05.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 32/2012

उनवान

1. नन्द किशोर आयु 40 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति गाडरी गूजर
2. रमेश आयु 30 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति गाडरी गूजर निवासीगण पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. मिथलेश कुमारी पत्नी चतुर्भुज जाति मीणा
2. रोहित पुत्र चतुर्भुज नाबालिग जर्ये वली पिता चतुर्भुज जाति मीणा निवासीगण हरनावदा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रतापसिंह।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के ग्राम पिपलोद के हाल खसरा नम्बर 308 रकबा 1.35 है0 के कब्जे काश्त में न तो स्वंय और न अपने प्रतिनिधीयों के माध्यम से दखलंदाजी दें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.05.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)